मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 190 /1852389/2024/38-3 भोपाल, दिनांक 20/02/2026

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त सार्वजनिक एवं निजी विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।
2. प्राचार्य,
   समस्त स्वशासी महाविद्यालय(शासकीय एवं अशासकीय),
   मध्यप्रदेश ।

विषय- आगामी परीक्षाओं में विद्यार्थियों प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक में APAAR ID का अनिवार्य समावेशन एवं क्रेडिट डाटा अपलोड संबंधी निर्देश।

—00—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के समुचित डिजिटलीकरण के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) ID व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं–.

1. परीक्षा दस्तावेजों में APAAR ID का उल्लेख

आगामी वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी के–

- उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं
- प्रवेश पत्र (Admit Card)

में विद्यार्थी के नाम, रोल नंबर, नामांकन क्रमांक आदि विवरण के साथ APAAR ID का स्पष्ट एवं अनिवार्य उल्लेख सुनिश्चित किया जाए।

2. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण APAAR ID का सुधार

ऐसे विद्यार्थी–

- जिनकी स्नातक स्तर पर APAAR ID प्राप्त नहीं हो सकी थी, अथवा
- जिनकी APAAR ID त्रुटिपूर्ण है,

उनकी सही एवं सत्यापित APAAR ID परीक्षा अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से प्राप्त कर विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय के अभिलेखों में अद्यतन (Update) की जाए। इस कार्य हेतु आवश्यक समन्वय परीक्षा केन्द्रों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

...निरंतर

3. क्रेडिट डाटा का डिजिलॉकर पोर्टल पर अपलोड

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को उनकी APAAR ID से लिंक करते हुए NAD-DigiLocker पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अतः सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि–

- परीक्षा परिणाम, अंकसूची/क्रेडिट एवं उपाधि संबंधी विवरण APAAR ID से लिंक हों।
- वर्ष 2025 में आयोजित परीक्षाओं का क्रेडिट डाटा समयबद्ध रूप से डिजिलॉकर पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
- पत्र के साथ संलग्न गूगल फॉर्म में वर्ष 2019 से 2025 तक में आयोजित परीक्षाओं एवं डिजिलॉकर पोर्टल पर अपलोड डाटा की जानकारी 15 दिवस में देना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को निर्धारित समय-सीमा में प्रेषित की जाए।

संलग्नः- गूगल फॉर्म लिंक: https://forms.gle/B2gCfiUoLVKK1vbR7

20-2-26
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 101/1852389/2024/38-3 भोपाल, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपि-

1. कुलगुरु, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल को समस्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों एवं स्वशासी महाविद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय) में निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
5. सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल को समस्त निजी विश्वविद्यालयों में निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आईटी सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

20-2-26
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ.क्र./कु.स./2026/811 जबलपुर, दिनांक 23/2/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. नोडल अधिकारी, ऑनलाईन सेल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर, कृपया उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक–01 के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. समस्त प्राचार्य/समस्त केन्द्राध्यक्ष, सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की ओर इस निर्देश के साथ कि शासन के उपरोक्त बिन्दु क्रमांक–02 का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर डाटा अपडेट करें एवं अपडेट जानकारी Excel sheet में वि.वि. के ऑनलाईन सेल एव वि.वि. की ई–मेल **rdvvdigilocker@gmail.com** पर उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करें।
3. अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि,, जबलपुर।

23/2/26
कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर